विधानसभा दिसम्बर 2022 में मान. विधायक श्री कुणाल चौधरी [20/12/2022] 11
द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1004 के संबंध
में परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क्र. 1004]

परिशिष्ट -

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1004 द्वारा श्री कुणाल चौधरी, माननीय विधायक
जीएसटी में अनियमितता के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	वर्ष	जीएसटी अनियमितताओं के प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों में सन्नहित राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	प्रकरण में वृद्धि/ कमी का प्रतिशत	राशि में वृद्धि /कमी का प्रतिशत
1	2017-18	0	0.00	0.00	0.00	-	-
2	2018-19	3964	92.69	75.57	17.12	-	-
3	2019-20	4911	3897.33	143.36	3753.97	23.89	4104.69
4	2020-21	2948	1101.23	322.00	779.23	-39.97	-71.74
5	2021-22	2634	444.45	224.25	220.21	-10.65	-59.64
6	2022-23	1384	248.29	101.71	146.58	-47.46	-44.14
योग		15841	5783.99	866.89	4917.11	-	-

कारण-

1- विभाग द्वारा लगातार डाटा एनालिसिस कर निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है तथा एनालिसिस के दौरान कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।
2- व्यवसाइयों को जीएसटी अधिनियम की जानकारी हेतु समय-समय पर अवेयरनेस कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
3- अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित कर जानकारियों का आदान-प्रदान होने से अनियमितताओं पर शीघ्रता से कार्यवाही होती है। जिससे अनियमितताओं में निरंतर कमी आ रही है।
4- जीएसटी अधिनियम में सुधार हेतु समय-समय पर शासन की ओर से जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव प्रेषित की जा रही है।
5- मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार प्रवर्तन, स्क्रूटनी एवं ऑडिट वैधानिक कार्यवाही होने से अनियमितताओं में निरंतर कमी आ रही है।

उपरोक्त कार्यवाहियां होने से वैधानिक प्रावधानों के कम्प्लायंस में निरंतर वृद्धि हो रही है।

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,भोपाल

संयुक्त आयुक्त
वास्ते/राज्य कर आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर